# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 324 सन 2019
अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार 2 प्रमोद शर्मा पुत्रगण श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 अमृतपाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 राजेश कुमार शर्मा 5. कैलाश शर्मा पुत्रगण बनवारीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 माणकचन्द 7. लीलाधर पुत्रगण रामेश्वरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादीगण**

**बनाम**

1. श्योकरण पुत्र गोरू उर्फ गोरूराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्रीराम शर्मा 3 जगदीश प्रसाद 4 बनवारीलाल 5. रामेश्वरलाल पुत्रगण श्योकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. रेशमा पुत्री श्योकरण पत्नी मनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
7. रामप्यारी पुत्री श्योकरण पत्नि नन्दरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी दुदियावाली जिला सिरसा।
8. गुडडीदेवी पुत्री श्योकरण पत्नी रामप्रताप जाति ब्रहाम्ण निवासी दुदियावाली जिला सिरसा
9. सुमन पुत्री श्रीराम पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
10. सुमन कुमारी पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी रामअवतार जाति ब्रहाम्ण निवासी कुम्हारिया तहसील फतेहबाद
11. निर्मला शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी वेदपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढुकडा जिला सिरसा
12. विनोद कुमारी पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी विनोद कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
13. मन्जु शर्मा पुत्री बनवारीलाल पत्नी कुलदीप शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 30/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 केएनएन के खता संख्या 44/46 की कुल 7.0970हैक भूमि में से 212 हिस्सा , व खाता संख्या 208/184 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 60 की कुल 4.9590हैक व रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 91/1 की कुल 6.2740हैक भूमि वादीगण के दादा के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के पूर्वज गौरू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादा है के नाम से दर्ज है वादीगण के पूर्वज गोरू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बरारबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण संख्या 1 ,2 का पिता है , प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 3 का पिता है प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण संख्या 4 ,5 का पिता है प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण

उपखण्डाधिकारी नोहर

**संख्या 6 ,7 का** पिता है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की बहन एवं **वादीगण की** बुआ है प्रतिवादी संख्या 9 वादी संख्या 1 ,2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 10 वादी संख्या 3 की बहन है प्रतिवादी संख्या 11 ,12 वादी संख्या 3 की बहन है प्रतिवादी संख्या 13 वादी संख्या 4 ,5 की बहन है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गौरू के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बरबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ,जो वादी की पिता/बहने/बुआ है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/भतिजो/पुत्रों वादीगण संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 केएनएन के खता संख्या 44/46 की कुल 7.0970हैक भूमि में से 212 हिस्सा , व खाता संख्या 208/184 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 60 की कुल 4.9590हैक व रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 91/1 की कुल 6.2740हैक भूमि वादीगण के दादा के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के पूर्वज गौरू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादा है के नाम से दर्ज है वादीगण के पूर्वज गोरू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बरारबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण संख्या 1 ,2 का पिता है , प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 3 का पिता है प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण संख्या 4 ,5 का पिता है प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण संख्या 6 ,7 का पिता है। इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की बहन एवं वादीगण की बुआ है प्रतिवादी संख्या 9 वादी संख्या 1 ,2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 10 वादी संख्या 3 की बहन है प्रतिवादी संख्या 11 ,12 वादी संख्या 3 की बहन है प्रतिवादी संख्या 13 वादी संख्या 4 ,5 की बहन है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वाद भूमि में अपने हकों को त्याग किया जाकर अन्य चकों में खातेदारी भूमि जो उनके नाम है रख ली है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन के खता संख्या 44/46 की कुल 7.0970हैक भूमि में से 212 हिस्सा , व खाता संख्या 208/184 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 60 की कुल 4.9590हैक व रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 91/1 की कुल 6.2740हैक भूमि वादीगण के दादा श्योकरण के नाम सें दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि श्योकरण पुत्र गोरू के नाम से दर्ज थी उससे पूर्व वाद भूमि वादीगण के पड़दादा गोरू के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के दादा श्योकरा पुत्र गोरू के नाम से दर्ज थी वाद भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 13 जो वादी के बहने/बुआ/पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जाकर अन्य चकों में भूमि अपने नाम से रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है तथा वादीगण के हकों को साबित करने के लिये श्योकरण पुत्र गोरू की वसीयत की प्रति पेश की गई प्रस्तुत वसीयत के अनुसार भी वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है वसीयत के आधार पर भी वादीगण वाद भूमि पाने के अधिकारी है क्योकि हस्तगत वाद में भी वाद भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 सहमत है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खता संख्या 44/46 की कुल 7.0970हैक भूमि में से 212 हिस्सा , व खाता संख्या 208/184 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 60 की कुल 4.9590हैक व रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 91/1 की कुल 6.2740हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी संख्या 1 ,2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , वादीगण संख्या 4 ,5 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 6 ,7 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर ( हनुमानगढ )

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार 2 प्रमोद शर्मा पुत्रगण श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 अमृतपाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 राजेश कुमार शर्मा 5. कैलाश शर्मा पुत्रगण बनवारीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 माणकचन्द 7. लीलाधर पुत्रगण रामेश्वरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादीगण**

**बनाम**

1. श्योकरण पुत्र गोरू उर्फ गोरूराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
2 श्रीराम शर्मा 3 जगदीश प्रसाद 4 बनवारीलाल 5. रामेश्वरलाल पुत्रगण श्योकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 रेशमा पुत्री श्योकरण पत्नी मनीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
7 रामप्यारी पुत्री श्योकरण पत्नि नन्दरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी दुदियावाली जिला सिरसा।
8 गुडडीदेवी पुत्री श्योकरण पत्नी रामप्रताप जाति ब्रहाम्ण निवासी दुदियावाली जिला सिरसा
9 सुमन पुत्री श्रीराम पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा
10 सुमन कुमारी पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी रामअवतार जाति ब्रहाम्ण निवासी कुम्हारिया तहसील फतेहबाद
11 निर्मला शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी वेदपाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ढुकडा जिला सिरसा
12 विनोद कुमारी पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नी विनोद कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
13 मन्जु शर्मा पुत्री बनवारीलाल पत्नी कुलदीप शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 324 सन 2019 निर्णय दिनांक– ३०/१२/२०१९**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खता संख्या 44/46 की कुल 7.0970हैक भूमि में से 212 हिस्सा , व खाता संख्या 208/184 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 60 की कुल 4.9590हैक व रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता संख्या 91/1 की कुल 6.2740हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी संख्या 1 ,2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , वादीगण संख्या 4 ,5 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 6 ,7 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक ३०/१२/१९ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )